

Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

पेपर-4 - कॉर्पोरेट और आर्थिक कानून

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए

प्रश्न 1

(क) टीवाई लिमिटेड ने अपने निदेशक श्री तन्मय से ₹25,00,000 की राशि उधार ली है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 177 के प्रावधानों के तहत गठित लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। कंपनी के लेखापरीक्षकों ने विचार व्यक्त किया कि संबद्ध पक्षकार संव्यवहार होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था। हालांकि, कंपनी सचिव ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की कि चूंकि यह लेनदेन अधिनियम की धारा 188 के अनुसार संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है, लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में, जाँच करें:

- (i) यदि ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188 के तहत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं थे, तो क्या उधार लेने के लिए लेखापरीक्षा समिति के बहु-प्रयोजन अनुमोदन की आवश्यकता थी?
- (ii) क्या संबद्ध पक्षकार संव्यवहार हेतु संव्यवहार हो जाने के पश्चात लेखापरीक्षा समिति से अनुमोदन लिया जा सकता है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो संव्यवहार पर क्या प्रभाव होगा?

(4 अंक)

(ख) एपीसी लिमिटेड ने बारह महीनों की अवधि के दौरान बोर्ड की चार बैठकें की हैं। बोर्ड की ये सभी बैठकें चेन्नई स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गईं। श्री प्रकाश, गैर-कार्यकारी अधिकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक ने व्यक्तिगत रूप से किसी भी बोर्ड बैठक में भाग नहीं लिया है, लेकिन ऑडियो-वीडियो माध्यम से केवल एक बैठक में भाग लिया है।

श्री आकाश को 31 अगस्त, 2022 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपेक्षानुसार तत्काल अगले दिन निदेशक

पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त की और उनकी नियुक्ति के बाद आयोजित सभी बोर्ड बैठकों में भाग लिया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त परिदृश्यों से उत्पन्न निम्नलिखित मुद्दों की जाँच करें:

- (i) श्री प्रकाश की निदेशक के पद से कार्यमुक्ति, यदि वे व्यक्तिगत रूप से बोर्ड की किसी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं।
- (ii) एक निदेशक की हैसियत से श्री आकाश द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की वैधता।

(4 अंक)

(ग) मैरी लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी के अनुच्छेद निदेशक बोर्ड को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का अधिकार देते हैं। तदनुसार, निदेशक बोर्ड ने श्री कमलेश को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि पहले श्री कमलेश को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को कंपनी के सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक में अस्वीकार कर दिया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जाँच करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

- (i) क्या निदेशक बोर्ड द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री कमलेश की नियुक्ति वैध है?
- (ii) क्या सदस्य श्री कमलेश को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जब नियुक्ति का प्रस्ताव पहली बार एजीएम के समक्ष आता है?
- (iii) यदि कंपनी की वार्षिक आम बैठक निर्धारित समय के भीतर आयोजित नहीं की जाती है और बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो निर्णय करें कि क्या श्री कमलेश, जिन्हें बोर्ड द्वारा पहली बार अतिरिक्त निदेशक के रूप में वैध रूप से नियुक्त किया गया था, निदेशक के रूप में कार्य करना जारी रख सकते हैं।

(6 अंक)

उत्तर

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iv), 188 के साथ पठित धारा 2(76) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6क के अनुसार निम्नलिखित उत्तर होंगे:

- (i) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6क के अनुसार, सभी संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के लिए लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और लेखापरीक्षा समिति कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन बहु-प्रयोजन अनुमोदन दे सकती है।

धारा 177(4)(iv) के अनुसार, प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, संबद्ध पक्षकार के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन शामिल होगा।

बशर्ते कि लेखापरीक्षा समिति कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के लिए निर्धारित की जाने वाली ऐसी शर्तों के अध्यधीन बहु-प्रयोजन अनुमोदन दे सकती है।

बशर्ते यह भी कि संव्यवहार के मामले में, धारा 188 में निर्दिष्ट लेनदेन के अलावा और जहां लेखापरीक्षा समिति संव्यवहार को अनुमोदन नहीं देती है, वह बोर्ड को अपनी सिफारिशें करेगी।

इस मामले में, टीवाई लिमिटेड द्वारा इसके निदेशक श्री तन्मय से ₹25,00,000 की राशि का उधार यह दर्शाता है कि धारा 2(76) के अनुसार वे संबद्ध पक्षकार हैं और ये संव्यवहार संबद्ध पक्षकार संव्यवहार है, हालांकि ये संव्यवहार अर्थात् ₹25,00,000 की उधार राशि धारा 188(1) के अनुसार उनके बीच संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं है।

इसलिए, इस मामले में, उधार का ये संव्यवहार, धारा 188(1) के तहत निर्धारित संव्यवहार को छोड़कर एक संबद्ध पक्षकार संव्यवहार था।

नोट: छात्र यह उल्लेख करते हुए भी उत्तर समाप्त कर सकते हैं कि "उक्त उधार का संव्यवहार, धारा 188(1) के अनुसार संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं था, इसलिए टीवाई लिमिटेड द्वारा अपने निदेशक श्री तन्मय से इस तरह के उधार लेने के लिए लेखापरीक्षा समिति का बहु-प्रयोजन अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी।

(ii) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6क के अनुसार, सभी संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के लिए लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जहाँ संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और उससे संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में लेखापरीक्षा समिति ऐसे संव्यवहार के लिए बहु-प्रयोजन अनुमोदन दे सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति संव्यवहार ₹ 1 करोड़ से अधिक न हो।

ऐसे संव्यवहार के मामले में जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त नहीं है और जो कंपनी के निदेशक या अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना दर्ज किया जाता है और यदि यह संव्यवहार की तारीख से तीन महीने के भीतर लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया जाता है, तो इस तरह का संव्यवहार लेखापरीक्षा समिति के विवेकानुसार अमान्य हो जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के लिए लेखापरीक्षा समिति की संव्यवहार-पश्च अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऐसा लेनदेन लेखापरीक्षा समिति के विवेकानुसार अमान्य होगा।

इसके अलावा, यदि इस तरह का संव्यवहार किसी भी निदेशक से संबद्ध पक्षकार के साथ किया जाता है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को उसके द्वारा हुई किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

- (ख) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1) के अनुसार, निदेशक का पद खाली हो जाएगा यदि वह बोर्ड की अनुमति से अथवा अनुमति के बिना 12 महीने की अवधि के दौरान आयोजित निदेशक बोर्ड की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

साथ ही, अधिनियम की धारा 173(2) में कंपनी के निदेशकों को या तो स्वयं उपस्थित होकर, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जैसाकि कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया गया है।

इस मामले में, श्री प्रकाश ने बारह महीने की अवधि में ऑडियो-वीडियो माध्यम से एपीसी लिमिटेड की केवल एक बैठक में भाग लिया है और बोर्ड की किसी अन्य बैठक में स्वयं उपस्थित होकर भाग नहीं लिया है।

इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, श्री प्रकाश का पद खाली नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर बोर्ड की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया है, फिर भी उन्होंने ऑडियो-वीडियो माध्यम से एक बैठक में भाग लिया है।

- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(3) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंपनी के निदेशक के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसे धारा-154 के तहत डीआईएन आवंटित किया गया हो।

इसके अलावा, धारा 164(1) के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसने धारा-152 की उप-धारा (3) का अनुपालन नहीं किया है।

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में, श्री आकाश की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति अमान्य है क्योंकि उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद डीआईएन प्राप्त किया था।

इसलिए, श्री आकाश द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग लेना मान्य नहीं है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

(क) किसी कंपनी के अनुच्छेद उसके निदेशक बोर्ड को किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

(ख) ऐसा व्यक्ति, जो आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्त होने में विफल रहता है, उसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(ग) अतिरिक्त निदेशक अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अथवा उस अंतिम तिथि तक जिस पर वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए:

(i) निदेशक बोर्ड द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री कमलेश की नियुक्ति मान्य नहीं है, क्योंकि पहले श्री कमलेश को कंपनी बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को कंपनी के सदस्यों ने एजीएम में अस्वीकृत कर दिया था।

(ii) जी नहीं, सदस्य श्री कमलेश को एजीएम में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि धारा 161(1) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त शक्ति कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा केवल निदेशक बोर्ड को प्रदान की जा सकती है।

(iii) यदि कंपनी की एजीएम निर्धारित समय के भीतर आयोजित नहीं की जाती है और बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो श्री कमलेश निदेशक के रूप में कार्य करना जारी नहीं रख सकते हैं क्योंकि वे उस अंतिम तिथि तक पद पर रह सकते हैं जिस पर एजीएम आयोजित की जानी चाहिए थी।

प्रश्न 2

(क) श्री सुनील सोनाटा लिमिटेड में कानूनी प्रबंधक हैं। सोनाटा लिमिटेड की लेखा-विवरणों में कथित मिथ्याकरण के लिए जाँच की जा रही है। जांच के दौरान, श्री सुनील ने जांच अधिकारी को कुछ गोपनीय जानकारी दी। अब कंपनी श्री सुनील को उनकी सेवाओं से निलंबित करना चाहती है। श्री सुनील के पास कौन से उपाय उपलब्ध है? श्री सुनील को निलंबित करने के अपने निर्णय को लागू करने के लिए सोनाटा लिमिटेड द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ व्याख्या कीजिए। **(4 अंक)**

(ख) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देश पर, डीटीसी लिमिटेड और ₹100 करोड़ के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले इसके 10,000 लेनदारों के बीच समझौते की योजना को स्वीकारने के लिए एक बैठक आयोजित की जाती है। बैठक के अध्यक्ष ने मतदान विवरण की घोषणा निम्नानुसार की:

(1) योजनाओं के पक्ष में डाले गए कुल वोट:

स्वयं	₹35 करोड़ मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 2,000 लेनदार
प्रॉक्सी से	₹15 करोड़ मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 1,000 लेनदार
डाक मतपत्र से	₹20 करोड़ मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 2,000 लेनदार

(2) योजना के समक्ष डाले गए कुल वोट:

स्वयं	₹5 करोड़ मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 3,000 लेनदार
प्रॉक्सी से	₹15 करोड़ मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 1,000 लेनदार

(3) ₹10 करोड़ के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 1,000 लेनदार बैठक में शामिल नहीं हुए

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण करें कि क्या बैठक द्वारा समझौते की योजना को अपनाया गया है तथा असंतुष्ट और अनुपस्थित लेनदारों पर इसका बाध्यकारी प्रभाव क्या होगा। (4 अंक)

(ग) एडीएल लिमिटेड विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए पात्र है। इसने भारत में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र विदेशी ऋणदाता से 01.01.2021 को 100 करोड़ रुपये का ईसीबी जुटाया। चूंकि वन और अन्य सरकारी स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में देरी हो रही है, इसलिए परियोजना का कार्यान्वयन एक वर्ष आस्थगित होने की संभावना है। इसलिए, कंपनी ने 100 करोड़ रुपये की ईसीबी राशि को ड्रॉप-डाउन कर दिया और प्राप्तियों को पार्क कर दिया, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

- (i) 80 करोड़ भारतीय रुपए पूंजी बाजार में रखे गए थे, जिसका ब्यौरा यह है कि - इक्विटी शेयरों में 20 करोड़ रुपए, प्रत्याभूत डिबेंचर में 40 करोड़ रुपए और म्यूचुअल फंड में 20 करोड़ रुपए।
- (ii) सभी शर्तों के अनुपालन के अध्यक्षीन एडी श्रेणी 1 बैंक के साथ सावधि जमा में 20 करोड़ रुपये।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए उपर्युक्त विवरण के अनुसार ईसीबी प्राप्तियों की पार्किंग की वैधता की जांच करें। (3 अंक)

(घ) इंदौर, भारत में एक फ्लाईंग क्लब की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। क्लब का प्रमुख कार्यकलाप इच्छुक पायलटों को कक्षा और फील्ड प्रशिक्षण प्रदान करना है। पहले पाँच वर्षों तक सुचारु रूप से चलने के बाद क्लब निष्क्रिय हो गया। सरकार की पहल और सहायता से इसे वर्ष 2021 के दौरान पुनर्जीवित किया जा सका। प्रशिक्षण कार्यकलाप को फिर से शुरू करने के लिए क्लब ने विदेशों में मरम्मत के लिए दो विमान इंजन और स्पेयर पार्ट्स को निर्यात किया और क्लब कार्यकलाप के संचालन के लिए उन्हें छह महीने के भीतर भारत वापस लाया।

क्लब के पास पट्टे के आधार पर एक आयातित विमान था जिसे पट्टा समझौते को रद्द करके और सरकारी एजेंसियों की अपेक्षित मंजूरी/अनुमति प्राप्त करके स्थायी रूप से विदेश में फिर से निर्यात किया गया था। लेकिन क्लब इस निर्यात के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकरणों को घोषणा प्रस्तुत करने में

विफल रहा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, विश्लेषण करें कि क्या क्लब ने उक्त वस्तुओं के निर्यात और पुनः निर्यात से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। (3 अंक)

उत्तर

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 218 के प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी मामले की जांच के दौरान कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले कंपनी को ट्रिब्यूनल का अनुमोदन लेना होगा।

कंपनी को निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी:

- किसी भी कर्मचारी की कार्यभार से मुक्ति या निलंबन; अथवा
- बर्खास्तगी, पदच्युति, रैंक में कमी या अन्यथा किसी रूप में कर्मचारी को दंड; अथवा
- कर्मचारी (कर्मचारियों) के अहित में रोजगार की शर्तों में परिवर्तन।

ट्रिब्यूनल प्रस्तावित कार्रवाई पर अपनी आपत्ति लिखित रूप में सूचित करेगा।

यदि कंपनी, अन्य कॉर्पोरेट निकाय या संबंधित व्यक्ति को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई करने के लिए अगली कार्यवाही कर सकता है। अर्थात् इसे ट्रिब्यूनल द्वारा मानित अनुमोदन (डीमंड अप्रूवल) माना जा सकता है।

इस प्रकार, सोनाटा लिमिटेड को श्री सुनील को निलंबित करने के अपने निर्णय को लागू करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

श्री सुनील के पास उपलब्ध उपाय: श्री सुनील को उपाय तभी उपलब्ध होगा जब ट्रिब्यूनल द्वारा उनकी सेवाओं के निलंबन के लिए लिखित में प्रस्तावित कार्रवाई पर आपत्ति नहीं जताई गई हो। कानून के प्रावधान के अनुसार, श्री सुनील अपीलीय ट्रिब्यूनल को अपील तभी भेज सकते हैं यदि ट्रिब्यूनल द्वारा 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई हो।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(6) के अनुसार, जहाँ बैठक में अधिकांश

व्यक्ति 3/4 मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वयं या प्रॉक्सी या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करते हैं, किसी भी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होते हैं और यदि ऐसे समझौते या व्यवस्था को ट्रिब्यूनल के एक आदेश के माध्यम से संस्वीकृति दी जाती है, तो वह कंपनी, सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, के लिए बाध्यकारी होगा।

3/4 मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्ति निम्नलिखित में गिने जाएंगे:

- लेनदार, या
- लेनदारों का वर्ग या
- सदस्य या
- सदस्यों का वर्ग, जैसा भी मामला हो,

बहुमत की गणना संख्या में और मूल्य में दोहरे रूप में होगी। मतदान करने वालों का साधारण बहुमत पर्याप्त है। जबकि 'तीन-चौथाई' अपेक्षा मूल्य से संबंधित है। तीन-चौथाई मूल्य की गणना बैठक में मौजूद और मतदान करने वाले लेनदारों द्वारा धारित मूल्य के संदर्भ में की जानी है।

इस मामले में, 9000 लेनदारों ने बैठक में भाग लिया, जो ₹90 करोड़ मूल्य का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसाकि 5000 लेनदारों ने योजना के पक्ष में मतदान किया, संख्या में बहुमत से संबंधित अपेक्षा (अर्थात् 4501) पूरी हो गई है।

बैठक में भाग लेने वाले 9000 लेनदार ₹90 करोड़ मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका तीन-चौथाई ₹67.50 करोड़ बैठता है जबकि 5000 लेनदारों जिन्होंने मूल्य के रूप में योजना के पक्ष में मतदान किया है, वह ₹70 करोड़ है। तीन-चौथाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत की अपेक्षा भी पूरी हो गई है।

चूंकि दोनों अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, योजना को अपेक्षित बहुमत से पारित और अनुमोदित किया जाता है और यह कंपनी, सभी लेनदारों, या लेनदारों

के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, के लिए बाध्यकारी होगा।

इस प्रकार, समझौते की योजना असहमत और अनुपस्थित लेनदारों सहित सभी लेनदारों के लिए बाध्यकारी है।

(ग) ईसीबी प्राप्तियों को विदेशों में तथा देश में रखने (पार्किंग) करने की अनुमति है।

देश में ईसीबी की रखना (पार्किंग): रुपये में व्यय के लिए निर्धारित ईसीबी प्राप्तियों को भारत में एडी (प्राधिकृत व्यापारी) श्रेणी I बैंकों में उनके रुपया खातों में जमा करने के लिए तुरंत प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए।

ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में अधिकतम 12 महीने की संचयी अवधि के लिए एडी श्रेणी I बैंकों में सावधि जमा में ईसीबी प्राप्तियों को जमा करने की भी अनुमति है। इन सावधि जमाओं को भारमुक्त स्थिति में रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त प्रावधानों को देखते हुए,

- (i) पूंजी बाजार में 80 करोड़ रुपए की पार्किंग वैध नहीं है।
- (ii) एडी श्रेणी 1 बैंक के साथ सावधि जमा में सभी शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन 20 करोड़ रुपए की पार्किंग वैध है।

(घ) निम्नलिखित मामलों में घोषणा प्रस्तुत किए बिना माल/सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जा सकता है, अर्थात्:

- (i) विदेश में ओवरहालिंग और/या मरम्मत के लिए विमान या विमान इंजन और स्पेयर पार्ट्स का निर्यात जो उनके निर्यात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ओवरहालिंग/मरम्मत के बाद भारत में उनके पुनः आयात के अध्यधीन होगा;
- (ii) डीजीसीए/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ऐसे निर्यात के लिए अनुमति के अध्यधीन पट्टादाता और पट्टेदार के बीच पट्टा समझौते को रद्द करने पर पट्टे पर विमान/हेलीकॉप्टर का पुनः निर्यात।

इस मामले में, चूंकि फ्लाइंग क्लब ने एफईएम (माल और सेवाओं का निर्यात)

विनियम, 2015 के अनुपालन में माल के निर्यात और पुनः निर्यात के संबंध में अपेक्षा को पूरा किया है, इसलिए इस निर्यात और पुनः निर्यात के संबंध में आरबीआई और अन्य प्राधिकारियों को घोषणा प्रस्तुत नहीं करना फ्लाइंग क्लब की ओर से कोई उल्लंघन नहीं है।

प्रश्न 3

(क) गंगा टेक्स्टाइल्स लिमिटेड ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारी घाटा उठाया और इसकी वित्तीय स्थिति काफी खराब थी। कंपनी ने 21 अगस्त, 2021 को इस आशा में एक बैंक के पक्ष में अपनी कुछ अचल परिसंपत्तियों पर एक कानूनी बंधक बनाया कि बैंक के साथ सद्भाव में वह बैंक से और अग्रिम प्राप्त कर सकती है और उसी का उपयोग कंपनी को पुनर्जीवित करने में किया जा सकता है। कुछ लेनदारों ने 15 जनवरी, 2022 को ट्रिब्यूनल में परिसमापन (वाइंडिंग-अप) याचिका दायर की और ट्रिब्यूनल ने 1 अगस्त, 2022 को परिसमापन का आदेश पारित कर दिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह स्पष्ट करें कि क्या बैंक के पक्ष में कंपनी द्वारा कानूनी बंधक रखने को कपटपूर्ण अधिमान माना जाएगा? **(4 अंक)**

(ख) सीएनसी लिमिटेड एक विदेशी कंपनी है जिसका कारोबार भारत में मुंबई और अहमदाबाद में है। इसने 1 जून, 2022 को अपने संगम ज्ञापन (मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन) में संशोधन किया और मुंबई स्थित शाखा कार्यालय को बंद कर दिया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कंपनी को निम्नलिखित मामलों पर सलाह दें:

(i) संगम ज्ञापन में संशोधन के संबंध में अनुपालन प्रक्रिया।

(ii) मुंबई कार्यालय को बंद करने और बाद में कंपनियों के रजिस्ट्रार को दस्तावेज जमा करना बंद करने के संबंध में अनुपालन प्रक्रिया। **(4 अंक)**

(ग) एक एनजीओ ने ऋषभ, जो कथित रूप से धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) गतिविधियों में शामिल था, के विरुद्ध विशेष न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। इसी

शिकायत में उस पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित की जाँच करें:

- (i) क्या विशेष न्यायालय शिकायत किए गए कथित अपराध का संज्ञान ले सकता है?
- (ii) क्या शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारी जांच शुरू कर सकता है?
- (iii) क्या विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत अपराध पर न्याय-विचार करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत मुकदमा शुरू कर सकती है?

(3 अंक)

- (घ) श्री विल्सन, जो एक कुख्यात व्यक्ति हैं, के पास नकली करेंसी नोट बरामद हुए थे, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग क-पैराग्राफ I के तहत निर्दिष्ट एक अपराध है। बताएँ कि उपर्युक्त अधिनियम के तहत उसे क्या दंड दिया जा सकता है। साथ ही, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग क पैराग्राफ 2 के तहत निर्दिष्ट अपराध के लिए दंड की भी पहचान करें।

(3 अंक)

उत्तर

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 328 किए गए किसी संव्यवहार को कपटपूर्ण अधिमान के रूप में माने जाने से संबंधित है।

जहाँ किसी कंपनी ने ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दी है जो-

- कंपनी के लेनदारों में से एक है, अथवा
- कंपनी के किसी भी ऋण या अन्य देनदारियों के लिए ज़मानत या गारंटीकर्ता है, और यदि कंपनी ऐसा कुछ भी करती है या कुछ भी भुगतती है जिसका प्रभाव उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डालने जैसा होगा जो कंपनी के परिसमापन में जाने की स्थिति में, उस स्थिति से बेहतर होगा जिसमें वह तब होता यदि वह कार्य परिसमापन का आवेदन करने के 6 महीने पहले नहीं किया गया होता।

ट्रिब्यूनल, यदि इस बात से संतुष्ट है कि इस तरह का संव्यवहार कपटपूर्ण अधिमान है, तो वह उस स्थिति को बहाल करने के लिए यथा उपयुक्त आदेश दे सकता है जो कंपनी द्वारा वह अधिमानता न दिए जाने की स्थिति में होती।

प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, गंगा टेक्स्टाइल्स लिमिटेड पिछले तीन वित्तीय वर्षों से घाटे में चल रही थी और उसकी वित्तीय स्थिति भी खराब थी। कंपनी ने सद्भाव में बैंक के पक्ष में अपनी कुछ अचल परिसंपत्तियों पर एक कानूनी बंधक बनाया ताकि वह बैंक से और अग्रिम प्राप्त कर सके जिसका उपयोग कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सके।

कुछ लेनदारों ने ट्रिब्यूनल में परिसमापन याचिका दायर की और परिसमापन का आदेश भी पारित कर दिया गया है।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, इस स्थिति के आलोक में, कंपनी के पुनरुद्धार के लिए बैंक से और अग्रिम प्राप्त करने के इरादे से बैंक के साथ अचल परिसंपत्ति को बंधक रखने का कार्य कंपनी द्वारा सद्भाव से व्यवसाय के सामान्य क्रम में किया गया था। इसके अलावा, कानूनी अपेक्षा के अनुसार, उक्त कानूनी बंधक न तो कंपनी के किसी लेनदार के पक्ष में था और न ही किसी ऋण/देनदारियों के लिए कंपनी के जमानत या गारंटीकर्ता के लिए।

इसलिए, यहाँ बैंक के पक्ष में कंपनी द्वारा कानूनी बंधक का सृजन कपटपूर्ण अधिमान नहीं होगा।

(ख) कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के अनुसार, विदेशी कंपनी सीएनसी लिमिटेड द्वारा मुंबई कार्यालय की अपनी शाखा को बंद करने के लिए निम्नलिखित बातों का विधिवत अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

(i) संगम जापन में संशोधन के संबंध में अनुपालन प्रक्रिया के संदर्भ में

अधिनियम की धारा 380 (3) के अनुसार, जो यह प्रावधान करती है कि जहाँ धारा 380 के तहत रजिस्ट्रार को दिए गए दस्तावेजों में कोई परिवर्तन किया जाता है या होता है, ऐसे मामले में विदेशी कंपनी ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर, पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगी,

जिसमें निर्धारित प्रपत्र में परिवर्तन के विवरण शामिल हों। कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 में निर्धारित किया गया है कि परिवर्तन के ब्यौरे वाली विवरणी निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म एफसी-2 में दाखिल की जाएगी।

जैसाकि इस मामले में, सीएनसी लिमिटेड ने 1 जून 2022 को अपने संगम ज़ापन में संशोधन किया है और मुंबई के अपने शाखा कार्यालय को बंद कर दिया है। सीएनसी लिमिटेड द्वारा संबंधित संशोधित दस्तावेज़ रजिस्ट्रार को 30 दिनों के भीतर अर्थात् अधिक से अधिक 1 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- (ii) **मुंबई कार्यालय को बंद करने और बाद में कंपनियों के रजिस्ट्रार को दस्तावेज़ जमा करना बंद करने के संबंध में अनुपालन प्रक्रिया के संदर्भ में**

यदि किसी विदेशी कंपनी का भारत में व्यवसाय-स्थल नहीं रहता है, तो वह तत्काल रजिस्ट्रार को इस तथ्य की सूचना देगी और जिस तारीख को ऐसा नोटिस दिया जाता है, उस तारीख से रजिस्ट्रार को कोई भी दस्तावेज़ देने के लिए कंपनी का दायित्व समाप्त हो जाएगा, बशर्ते भारत में इसका कोई और व्यवसाय-स्थल न हो।

यहाँ इस मामले में, सीएनसी लिमिटेड के पास अभी भी भारत में अहमदाबाद व्यवसाय-स्थल के रूप में है। इसलिए, मुंबई कार्यालय बंद होने के बाद भी रजिस्ट्रार को दस्तावेज़ प्रस्तुत करना जारी रखा जाएगा।

- (ग) (i) **विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान:** धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के अनुसार, विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, जब तक कि निम्नलिखित द्वारा लिखित में शिकायत नहीं की जाती:

(क) निदेशक अथवा

(ख) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप से उस सरकार द्वारा किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो।

तदनुसार, एनजीओ विशेष न्यायालय के समक्ष ऋषभ के विरुद्ध धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने की शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र नहीं है।

इसलिए, विशेष न्यायालय ऋषभ के विरुद्ध शिकायत किए गए कथित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है।

- (ii) कानून के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराध की जांच तभी करेगा जब केंद्र सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, और ऐसी शर्तों के अधीन करेगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।

यहाँ दिए गए मामले में पुलिस अधिकारी एनजीओ से शिकायत मिलने पर जांच शुरू नहीं कर सकता है।

- (iii) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 में प्रावधान है कि यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों को अधिभूत (ओवरराइड) करता है। इसलिए, विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध या धन शोधन के अपराध पर न्याय-विचार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार सुनवाई करेगा, क्योंकि यह सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण पर लागू होता है।

- (घ) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अनुसार, जो कोई भी धन-शोधन का अपराध करता है, उसे कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

तदनुसार, कुख्यात व्यक्ति श्री विल्सन के पास नकली करेंसी नोट बरामद हुए थे, जो पीएमएलए की अनुसूची के भाग क-पैराग्राफ 1 के तहत निर्दिष्ट अपराध है। इसलिए उसे जुर्माने सहित तीन वर्ष से सात वर्ष तक के कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा।

जहाँ धन शोधन के अपराध से हुई आय अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के तहत निर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित है, वहाँ जुर्माने सहित तीन वर्ष से लेकर दस

वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा।

प्रश्न 4

(क) मीरा कई सूचीबद्ध कंपनियों में बहुत योग्य व्यवसायी और स्वतंत्र निदेशक हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

- (i) कितनी सूचीबद्ध कंपनियों में उन्हें निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?
- (ii) क्या उपर्युक्त संख्या में परिवर्तन होगा यदि वह किसी एक सूचीबद्ध निकाय में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं?
- (iii) वह कितनी समितियों में सदस्य हो सकती हैं?
- (iv) कितनी समितियों में उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? **(4 अंक)**

(ख) केंद्र सरकार ने समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी/बोर्ड) को नीति के प्रश्न पर निर्देश जारी किए हैं। लेकिन, सेबी ने कई मौकों पर उन आदेशों की अवहेलना की और इसलिए, केंद्र सरकार ने बोर्ड को अधिक्रमित कर दिया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए केंद्र सरकार के आदेश की वैधता का विश्लेषण करें और निम्नलिखित का उत्तर दें:

- (i) बोर्ड को अधिक्रमित करने की केंद्र सरकार की शक्तियाँ और उसके कारण।
- (ii) बोर्ड को अधिक्रमित कर दिए जाने पर अपना पद छोड़ने वाले व्यक्तियों की पनगठित बोर्ड में नियुक्ति के लिए पात्रता। **(4 अंक)**

(ग) श्री मुस्तफा एक पंजीकृत राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अपने भाई श्री रहमान से, जो संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं और वहां रहते हैं, 25,00,000 रुपये का अंशदान प्राप्त किया है। श्री मुस्तफा ने यह पैसा अपने चुनावी खर्च को पूरा करने के लिए प्राप्त किया है। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

(एफसीआरए) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सलाह दें कि क्या श्री मुस्तफा ने विदेशी अंशदान स्वीकार करके एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

(3 अंक)

- (घ) श्री पंकज और श्री अरुण के बीच कुछ विवाद था जिसे उनके द्वारा आसानी से हल नहीं किया जा सका और यह विवाद उनके बीच हुए माध्यस्थम समझौते के आधार पर तीन मध्यस्थों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) को सौंपा गया। दो मध्यस्थों की राय यह थी कि श्री पंकज को श्री अरुण को ₹ 2 करोड़ की क्षतिपूर्ति देनी होगी। तीसरे मध्यस्थ की राय थी कि श्री अरुण श्री पंकज से कोई क्षतिपूर्ति पाने के योग्य नहीं हैं। इसके बाद यह पंचाट पहले दो मध्यस्थों द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि तीसरे मध्यस्थ ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह तथ्य कि तीसरे मध्यस्थ ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और उसका कारण पंचाट में बताया गया। श्री पंकज ने तर्क दिया कि चूंकि सभी मध्यस्थों ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए पंचाट अमान्य है। आप तय करें कि श्री पंकज का दावा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मान्य है अथवा नहीं।

(3 अंक)

उत्तर

- (क) दी गई जानकारी के अनुसार, मीरा कई सूचीबद्ध कंपनियों में बहुत योग्य व्यवसायी और स्वतंत्र निदेशक हैं। सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम 2015 के विनियम 17क और 26 के अनुसार उत्तर निम्नलिखित हैं:

- (i) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17क(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक या स्वतंत्र निदेशक नहीं हो सकता है।

इसलिए, मीरा को अधिकतम 7 सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

- (ii) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का विनियम 17क(2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सूचीबद्ध निकाय में डब्ल्यूटीडी/एमडी के रूप में सेवा कर रहा है, वह 3 से अधिक

सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम नहीं करेगा।

इसलिए मीरा, डब्ल्यूटीडी के पद पर रहने के अलावा, अधिकतम 3 सूचीबद्ध कंपनियों में ही स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम कर सकती हैं।

- (iii) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, कोई निदेशक सभी सूचीबद्ध निकायों में दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं हो सकता है।

अतः मीरा अधिकतम दस समितियों में सदस्य हो सकती है।

- (iv) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, कोई निदेशक सभी सूचीबद्ध निकायों में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा।

अतः मीरा को अधिकतम पाँच समितियों में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

- (ख) (i) **बोर्ड को अधिक्रमित करने की केंद्र सरकार की शक्ति:** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 17 के अनुसार, यदि किसी भी समय केंद्र सरकार की यह राय है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के अनुपालन में अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या उसके द्वारा सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बोर्ड ने लगातार चूक की है और इस तरह की चूक के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन में गिरावट आई है, तो ऐसे मामले में केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, छह महीने से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जैसाकि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, बोर्ड को अधिक्रमित कर सकती है।

इस प्रकार, समय-समय पर नीति के प्रश्न पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लगातार हुई चूक के कारण बोर्ड को अधिक्रमित करने की केंद्र सरकार की शक्ति वैध है।

- (ii) इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 17(3) में कहा गया है कि जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट

अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर, केंद्र सरकार नए नियोजन द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है और ऐसे मामले में ऐसा कोई भी व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने अपना पद रिक्त किया है, उन्हें नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, अधिक्रमण की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय, इस उप-धारा के तहत कार्यवाई कर सकती है और ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों को नई नियुक्ति द्वारा नियुक्त कर सकती है।

इसलिए, जिन व्यक्तियों ने बोर्ड को अधिक्रमित किए जाने पर अपना पद रिक्त किया है, वे पुनर्गठित बोर्ड में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(ग) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अनुसार, चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार द्वारा कोई विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार, जिसने उस तारीख जिस पर उसे उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित किया गया था, से ठीक पहले के एक सौ अस्सी दिन के भीतर किसी भी समय विदेशी अंशदान प्राप्त किया था, वह ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जो कि निर्धारित किया जा सकता है, केंद्र सरकार या निर्धारित प्राधिकरण या दोनों को उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की राशि, जिस स्रोत से और जिस तरीके से इस तरह का विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया था और किस प्रयोजन के लिए था और किस तरीके से उसके द्वारा इस तरह के विदेशी अंशदान का उपयोग किया गया था, के बारे में सूचना प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार, इस मामले में, हालांकि एफसीआरए की धारा 3 चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति प्रतिबंधित करती है, लेकिन धारा 21 के संदर्भ में, यह एक पंजीकृत राजनीतिक दल के प्राधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले विधिवत नामांकित उम्मीदवार के लिए अनुमत है। वह केंद्र सरकार या निर्धारित प्राधिकरण या दोनों को उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की राशि, स्रोत जिससे, और जिस तरीके से ऐसा विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया था और जिस प्रयोजन के लिए और जिस तरीके से उनके द्वारा इस तरह के विदेशी अंशदान का उपयोग किया गया था, के बारे में सूचना देगा।

इसलिए, श्री मुस्तफा ने यदि धारा 21 के तहत उपबंधित अपेक्षा के अनुपालन में विदेशी अंशदान स्वीकार किया है, तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

- (घ) माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, सभी निर्णय जिसमें पंचाट भी शामिल है, अनिवार्यतः बहुमत से किए जाने चाहिए। कोई भी पंचाट उन सभी मुद्दों के संबंध में पूरा होना चाहिए जो अधिनिर्णयन के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किए गए हों।

इसके अलावा, धारा 31(1)(क) में यह अपेक्षित है कि पंचाट लिखित रूप में हो और उस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों के हस्ताक्षर हों।

यह तब तक पंचाट नहीं कहा जा सकता जब तक ये दो शर्तें पूरी नहीं होतीं।

पंचाट के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा यह है कि यह तर्कसंगत होना चाहिए। कारण न बताए जाने पर पंचाट अमान्य हो जाएगा। कारण का उल्लेख यह दर्शाएगा कि मध्यस्थों ने इस मामले में अपना दिमाग लगाया था, उनके सामने रखी गई सभी सामग्रियों पर विचार किया था और उसके बाद ही वे किसी निर्णय पर पहुंचे। एकमात्र अपवाद तब होता है जब पक्षकार इस बात पर सहमत हों कि पंचाट के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार, यह पंचाट शर्तों का अनुपालन करता है क्योंकि यह बहुमत द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया गया तथा इसमें तीसरे सदस्य द्वारा हस्ताक्षर न करने के कारण का भी उल्लेख किया गया। तदनुसार, श्री पंकज का तर्क मान्य नहीं है। इसलिए, पंचाट वैध है।

प्रश्न 5

- (क) सुजीत, जो एक पंजीकृत मूल्यांकक हैं, को हिम लिमिटेड द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए अपनी साख के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें पारिश्रमिक के रूप में पांच लाख रुपये की राशि दी गई। बाद में, यह पाया गया कि सुजीत ने जानबूझकर कंपनी को धोखा देने के लिए अपेक्षाकृत कम मूल्यांकन दिया था जिससे कंपनी को एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार हिम लिमिटेड के पास उपलब्ध उपाय बताएं और इस चूक के

लिए सुजीत के सामने आने वाले परिणामों का भी उल्लेख करें।

(4 अंक)

(ख) प्रगति (निधि) लिमिटेड के संयुक्त शेयरधारक श्री सोहेल और सुशील ने एक नए ऋण के लिए आवेदन किया है, जबकि एक अन्य सदस्य श्री साहिल ने एक और ऋण के लिए आवेदन किया है, जिन्होंने निधि से पहले लिए गए ऋण अदायगी में चूक की है। श्री सोहेल का नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे पहले आता है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निधि के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से पता चलता है कि इसके सदस्यों की कुल जमा राशि ₹ 5 करोड़ है। वित्तीय विवरण यह भी दर्शाते हैं कि निधि पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान लगातार घाटे में रही है। आपको कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार श्री सोहेल और श्री साहिल की पात्रता और उन्हें मंजूर किए जा सकने वाले ऋण की अधिकतम मात्रा तय करनी होगी।

(4 अंक)

- (ग) (i) स्टार बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसबीआई) ने स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड को ₹50 लाख का ऋण प्रदान किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक छोटी कंपनी है। कंपनी ने ऋण अदायगी में चूक की है जिसके परिणामस्वरूप एसबीआई लगभग तीन महीने की अवधि के भीतर इस मामले को निपटाने के लिए कंपनी के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करना चाहते हैं। सॉलिसिटर ने बैंक को सलाह दी कि सीआईआरपी को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि 270 दिन है। दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, बैंक को उसके द्वारा वांछित प्रक्रिया के त्वरित निपटान के लिए उपलब्ध उपायों, यदि कोई हो, की जानकारी दें।
- (ii) हर्षा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) ने व्यावसायिक प्रयोजन के लिए एक वित्तीय संस्थान (वित्तीय लेनदार) से ₹30 लाख का ऋण लिया है। वित्तीय लेनदार द्वारा एक आवेदन दाखिल करने पर, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) 30 मई, 2022 को शुरू की गई जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिस्थगन घोषित किया गया था।

कुछ और लेनदारों की लंबित याचिका जिसे 30 मई, 2022 से पहले दायर किया गया था, को निपटाते हुए अधिकार-क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय ने 6 जून, 2022 को कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति की नीलामी के लिए एक आदेश पारित किया।

दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए वित्तीय लेनदार को इस संबंध में जानकारी दें कि क्या उच्च न्यायालय का आदेश वैध है और क्या इसे चुनौती दी जा सकती है?

(6 अंक)

उत्तर

(क) दिए गए प्रश्न में, पंजीकृत मूल्यांकक सुजीत ने कंपनी को धोखा देने के इरादे से साख का कम मूल्यांकन दिया था। इससे हिम लिमिटेड को नुकसान हुआ। कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 9 में उल्लिखित उपाय हिम लिमिटेड पर लागू होंगे, जो निम्नलिखित हैं:

प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या डाक या कूरियर के माध्यम से पंजीकृत मूल्यांकक या पंजीकृत मूल्यांकक संगठन के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है जिसके साथ प्राधिकरण के पक्ष में ₹1,000 गैर-वापसी योग्य शुल्क होगा और प्राधिकरण शिकायत की जांच करेगा और ऐसी यथावश्यक उचित कार्रवाई करेगा।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार, सुजीत के सामने आने वाले परिणाम/देनदारी निम्नानुसार हैं:

1. यदि कोई मूल्यांकक इस धारा के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो मूल्यांकक पचास हजार रुपये के जुर्माने का भागी होगा।

तथापि, यदि मूल्यांकक ने कंपनी या उसके सदस्यों को धोखा देने के इरादे से ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो उसे कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने का दंड दिया जाएगा जो ₹1 लाख से कम नहीं होगा लेकिन जो बढ़ाकर ₹5 लाख तक किया जा सकता है।

2. जहाँ कोई मूल्यांकक किसी कंपनी या सदस्य (जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है) को धोखा देने के लिए दोषी ठहराया गया है, वह निम्नलिखित का भागी होगा-

(क) कंपनी से प्राप्त पारिश्रमिक कंपनी को वापस करना; और

(ख) कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी रिपोर्ट में दिए गए विवरणों के मिथ्यापूर्ण या भ्रामक बयानों से हुए नुकसान की भरपाई करना।

(ख) निधि नियम, 2014 का नियम 15 ऋण से संबंधित है जो निम्नानुसार है:

(क) निधि केवल अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेगी।

(ख) निधि द्वारा किसी सदस्य को दिया गया ऋण सात लाख पचास हजार रुपये की सीमा के अन्तर्धीन होगा, जहाँ उसके सदस्यों से ऐसी निधि की कुल जमा राशि दो करोड़ रुपये से अधिक लेकिन बीस करोड़ रुपये से कम हो;

बशर्ते कि जहाँ निधि ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगातार लाभ नहीं कमाया है, वह निर्दिष्ट ऋणों की अधिकतम राशि के पचास प्रतिशत से अधिक कोई नया ऋण नहीं देगी।

बशर्ते यह भी कि कोई भी सदस्य आगे और ऋण के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने निधि से पहले कोई ऋण लिया है और इस तरह के ऋण की अदायगी में चूक की है।

यहाँ, जमा राशि की गणना पिछले लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में:

1. नए ऋण की अधिकतम राशि जो निधि किसी सदस्य को दे सकती है = ₹ 7,50,000

चूंकि, कंपनी पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में चल रही है, इसलिए, नया ऋण देने के लिए पात्र राशि = 7,50,000 का 50% = ₹ 3,75,000 होगी।

श्री सोहेल को दी जा सकने वाली अधिकतम राशि ₹ 3,75,000 है।

2. श्री साहिल आगे और कोई भी ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्होंने प्रगति (निधि) लिमिटेड से पहले लिए गए ऋण की अदायगी में चूक की है।

(ग) दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 55 से 58 कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से संबंधित है।

- (i) **फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का तरीका:** फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिए लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवेदन दायर किया जा सकता है, इसके साथ:

(क) इनफॉर्मेशन यूटिलिटी (सूचना संस्था) के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से अथवा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऐसे अन्य माध्यमों से प्रमाणित चूक किए जाने सबूत होंगे; और

(ख) ऐसी अन्य जानकारी होगी जो बोर्ड द्वारा यह स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट की जा सकती है कि कॉर्पोरेट देनदार फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र है।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का तरीका: फास्ट ट्रैक दिवालियापन समाधान के तहत किसी निर्धारित कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में एक आवेदन किया जा सकता है, जिसमें कंपनी अधिनियम की धारा 2(85) के तहत छोटी कंपनी भी निर्धारित है।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समय अवधि: फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर सीआईआरपी की अवधि को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार स्टार बैंक लिमिटेड स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड (छोटी कंपनी) के विरुद्ध सीआईआरपी का त्वरित निपटान करवा सकता है।

- (ii) दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 14(1) के अनुसार, दिवालियापन शुरू होने की तारीख पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश के माध्यम

से अधिस्थगन की घोषणा करेगा जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध मुकदमे दायर करने या लंबित मुकदमों या अदालती कार्यवाही को जारी रखने या किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, आज्ञा या आदेश को प्रतिबंधित किया जाएगा।

प्रस्तुत मामले में, 30 मई, 2022 को सीआईआरपी शुरू करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिस्थगन घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय ने 6 जून, 2022 (अर्थात् अधिस्थगन घोषित होने के बाद) को लंबित याचिका का आदेश पारित किया। चूंकि, धारा 14(1) अधिस्थगन अवधि के दौरान न्यायालय की आज्ञा या आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाती है, इसलिए उच्च न्यायालय का पारित आदेश मान्य नहीं है और हाँ, इसे चुनौती दी जा सकती है।

प्रश्न 6

- (क) श्री रमेश को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे सन मून फार्मा लिमिटेड में विपणन विभाग के प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे थे। महामारी के दौरान खर्च कम करने के उपाय के रूप में उन्हें पूर्णकालिक निदेशक के पद से हटा दिया गया था। श्री रमेश ने पद की हानि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए बताएँ कि क्या वह क्षतिपूर्ति के हकदार है। यदि हाँ, तो क्षतिपूर्ति की राशि की गणना कैसे की जाएगी?

अथवा

सुश्री विशाखा, जो एमएनओ लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, को विशाल स्टील लिमिटेड से प्रबंध निदेशक के पद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार एमएनओ लिमिटेड और विशाल स्टील लिमिटेड की प्रभावी पूंजी क्रमशः ₹10 करोड़ और ₹20 करोड़ है। विशाल स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसने यह शर्त रखी कि वह दोनों कंपनियों में एक साथ प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेगी और उनमें से प्रत्येक से पारिश्रमिक प्राप्त करेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उसे कुल अधिकतम वार्षिक पारिश्रमिक के बारे में जानकारी दें

जो वह दोनों कंपनियों से एक साथ प्राप्त कर सकती है, यदि हकदार है? (4 अंक)

- (ख) मॉडर्न लिमिटेड बैंकों से अपनी चुकता शेयर पूंजी, मुक्त प्रारक्षित भंडार और शेयर प्रीमियम से अधिक राशि उधार लेना चाहता है। अभिशासन के सामान्य नियम के अनुसार कंपनियां निदेशकों द्वारा शासित होती हैं, क्या निदेशक मंडल ऐसा करने के लिए अधिकृत है? यदि नहीं, तो कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? क्या आपका उत्तर कुछ भिन्न होगा यदि कुल ऋणों में व्यवसाय के सामान्य क्रम में उसके बैंकर से प्राप्त किए गए अस्थायी ऋण भी शामिल हैं? (4 अंक)
- (ग) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही के दौरान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान श्याम को संपत्ति (कार) कुर्क करने का नोटिस जारी किया गया था। श्याम ने दलील दी कि उनकी कार का इस्तेमाल धनशोधन गतिविधियों में नहीं किया गया था। क्या उसकी दलील को स्वीकार किया जा सकता है और उक्त नोटिस को उक्त अधिनियम के तहत रद्द किया जा सकता है? व्याख्या करें। (3 अंक)
- (घ) दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार प्री-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले समाधान व्यवसायी (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) के कर्तव्यों की व्याख्या करें। (3 अंक)

उत्तर

(क) प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के पद की हानि के लिए क्षतिपूर्ति [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 202]

कोई कंपनी किसी प्रबंध निदेशक (एमडी) या पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) या प्रबंधक (लेकिन किसी अन्य निदेशक को नहीं) को निम्नलिखित के माध्यम से भुगतान कर सकती है:

- पद की हानि के लिए क्षतिपूर्ति, या
- कार्यालय से सेवानिवृत्ति के लिए प्रतिलाभ के रूप में, या
- इस तरह की हानि या सेवानिवृत्ति के संबंध में।

यहाँ दिए गए उदाहरण में, श्री रमेश, पूर्णकालिक निदेशक को महामारी के दौरान

खर्च कम करने के उपाय के रूप में पद से हटने के लिए मजबूर किया गया। हाँ, वह क्षतिपूर्ति का हकदार है।

क्षतिपूर्ति की गणना: क्षतिपूर्ति की गणना उसके द्वारा ऐसे पद पर बने रहने की तारीख से ठीक पहले के तीन वर्ष की अवधि के दौरान अर्जित औसत पारिश्रमिक के आधार पर की जाएगी, अथवा जहाँ उसने तीन वर्ष से कम समय तक पद धारित किया है, तब इसी अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए गणना की जाएगी।

उपर्युक्त क्षतिपूर्ति उस पारिश्रमिक से अधिक नहीं होगी जो उसने तब अर्जित किया होता यदि वह अपने शेष कार्यकाल या तीन वर्ष, जो भी कम हो, के लिए पद पर रहता।

अथवा

अनुसूची V भाग II धारा I के अनुसार, वित्तीय वर्ष में लाभ कमाने वाली कंपनी एक प्रबंधकीय व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में निर्दिष्ट सीमा से अनधिक पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है।

धारा 197(1) के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी द्वारा उसके निदेशकों जिसमें प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक और इसके प्रबंधक शामिल हैं, को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में उस कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के ग्यारह प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जो धारा 198 में निर्धारित तरीके से परिकलित किया जाता है सिवाय इसके कि निदेशकों के पारिश्रमिक की कटौती सकल लाभ से नहीं की जाएगी।

बशर्ते कि कंपनी आम बैठक में अनुसूची V के प्रावधानों के अध्याधीन कंपनी के शुद्ध लाभ के ग्यारह प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान को अधिकृत कर सकती है।

बशर्ते यह भी कि, सिवाय आम बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी का अनुमोदन लेकर, किसी भी प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को देय पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यदि ऐसे निदेशक एक से अधिक हैं, तो पारिश्रमिक ऐसे सभी निदेशकों और प्रबंधक को मिलाकर शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची V भाग II धारा II के अनुसार, जहाँ किसी प्रबंधकीय व्यक्ति के कार्यकाल की अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में, कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है या इसका लाभ अपर्याप्त रहता है, तो यह प्रबंधकीय व्यक्ति को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकता है जो उसमें निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची V भाग II खंड V के अनुसार, प्रबंधकीय व्यक्ति एक या दोनों कंपनियों से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, बशर्ते कि कंपनियों से लिया गया कुल पारिश्रमिक उन कंपनियों में से किसी एक से स्वीकार्य अधिकतम सीमा से अधिक न हो जिसका वह प्रबंधकीय व्यक्ति है।

प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, सुश्री विशाखा एमएनओ लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विशाल स्टील लिमिटेड से प्रबंध निदेशक के पद के लिए एक प्रस्ताव मिला। एमएनओ लिमिटेड और विशाल स्टील लिमिटेड की प्रभावी पूंजी क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि कंपनियों को लाभ हो रहा है, तो देय पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(1) के अनुसार होगा। निदेशक जिनमें प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक शामिल हैं, को प्रबंधकीय पारिश्रमिक की समग्र सीमा उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के शुद्ध लाभ का 11% होगी। यदि एक प्रबंध निदेशक है, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के शुद्ध लाभ का 5%। लेकिन कानूनी अपेक्षा के अनुपालन में इन सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है।

यदि कंपनियों को कोई लाभ नहीं है अथवा इनका लाभ अपर्याप्त है, तो दोनों कंपनियों के तहत अधिकतम पारिश्रमिक, जिसके लिए सुश्री विशाखा हकदार हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा II-भाग II-अनुसूची V के अनुसार 84 लाख रुपये होगा।

प्रश्न में यह भी उल्लेख है कि विशाल स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, सुश्री विशाखा ने एक शर्त भी रखी कि वह दोनों कंपनियों में एक साथ प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगी और उनमें से प्रत्येक से पारिश्रमिक प्राप्त करेंगी।

अधिनियम की धारा V-भाग II- अनुसूची V में निहित प्रावधान के आलोक में, सुश्री विशाखा एक या दोनों कंपनियों से पारिश्रमिक प्राप्त करने की हकदार हैं, लेकिन कंपनियों से लिया गया कुल पारिश्रमिक किसी एक कंपनी को अनुमत अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(ग) के अनुसार, बोर्ड पैसे उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग करेगा, उस दशा में उधार लेना जहां कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ वह धनराशि जिसको उधार लिया जाना है, व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में कंपनी के बैंकों से अभिप्राप्त अस्थायी उधारों के अलावा, उसकी समादत्त शेयर पूंजी, मुक्त प्रारक्षित भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम की संकलित कुल रकम से केवल कंपनी की सहमति से एक विशेष प्रस्ताव की मदद से अधिक हो जाएगी।

'उधार' (पूंजीगत स्वरूप के वित्तीय व्यय को पूरा करने के लिए जुटाए गए ऋणों सहित) में अस्थायी ऋण शामिल नहीं हैं जो कंपनी द्वारा अपने बैंकों से व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में प्राप्त किए जाते हैं।

'उधार' पर सीमा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है: धारा 180 (2) में अपेक्षित है कि कंपनी द्वारा आम बैठक में 'उधार' के संबंध में पारित प्रत्येक विशेष प्रस्ताव में कुल राशि निर्दिष्ट की जाए, जितना निदेशक मंडल द्वारा धन उधार लिया जा सकता है।

निर्दिष्ट सीमा से अधिक उठाया गया ऋण [धारा 180 (5)]: यदि कोई कंपनी लगाई गई सीमा से अधिक ऋण लेती है, अर्थात् विशेष प्रस्ताव में निर्दिष्ट 'कुल राशि' से अधिक, तो यह ऋणदाता के दृष्टिकोण से वैध या प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि ऐसा ऋणदाता यह साबित न कर दे कि उसने सद्भावपूर्वक और बिना यह जाने कि लगाई गई सीमा को पार कर लिया है, ऋण दिया है। इस प्रकार, किसी कंपनी को कोई भी ऋण देने से पहले ऋणदाता को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। उधार ली गई राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा यह कंपनी के विरुद्ध कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होगी। दूसरे शब्दों में,

ऋणदाता को निश्चित रूप से धारा 180 (5) के निहितार्थों के बारे में पता होना चाहिए और उसे कोई भी ऋण सुविधा देने से पहले कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव, यदि कोई हो, के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अपनी चुकता शेयर पूंजी, मुक्त प्रारक्षित भंडार और शेयर प्रीमियम से अधिक राशि बैंकों से उधार लेने के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए, वर्तमान मामले में बोर्ड को एक विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता है।

अस्थायी ऋणों का बहिष्करण: चूंकि अस्थायी ऋण अपने बैंकों से व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए उन्हें उधार के लिए गणना की गई सीमाओं से बाहर रखा जाता है। इसलिए, यह कंपनी की कुल उधार लेने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।

- (ग) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8 के अनुसार, धारा 5(5) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 3 के तहत अपराध किया है या उसके पास अपराध से हुई आय है, तो ऐसे मामले में, यह ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है जिसमें वह उसकी आय, कमाई या परिसंपत्ति के स्रोत बताने की मांग कर सकता है, जिसमें से या जिसकी मदद से उसने संलग्न संपत्ति अर्जित की है, वह प्रमाण जिस पर वह आश्रित है, और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण, और यह कारण बताए कि समस्त या इनमें से किसी भी संपत्ति को धन-शोधन में अंतर्ग्रस्त संपत्तियों के रूप में घोषित नहीं किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा जब्त नहीं किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, श्याम की दलील स्वीकार नहीं की जाएगी और संपत्ति की कुर्की के लिए उसे नोटिस दिया जाएगा।

- (घ) प्री-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले समाधान व्यवसायी के कर्तव्य।

दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 54ख के अनुसार, समाधान व्यवसायी (इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल), जिसे रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है, के धारा 54क की उप-धारा (2) के खंड (ड) के तहत अनुमोदन की तारीख से शुरू होने वाले निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट तैयार करना, यह पुष्टि करना कि क्या कॉर्पोरेट देनदार धारा 54क की अपेक्षाओं को पूरा करता है, और आधारभूत समाधान योजना धारा 54क में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है;
- (ख) बोर्ड के पास इस तरह की रिपोर्टें और अन्य दस्तावेज फाइल करना, जैसाकि निर्दिष्ट किया जाए; और
- (ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो निर्दिष्ट किए जाएँ।